



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-22092025-266303
CG-MH-E-22092025-266303

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4137]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947

No. 4137]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

रेल मंत्रालय

(मध्य रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 22 सितम्बर, 2025

रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 20A के तहत

का.आ. 4255(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'ए' के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिला में “ 2027 में कुंभ मेले के दौरान यात्रियों के आवागमन हेतु मुंबई की दिशा में खेरवाड़ी रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड के परिसंचारी क्षेत्र का विकास ” की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी, निफाड, महाराष्ट्र को लिखित में किया जाएगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या

विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों कि सुनवाई करने तथा ऐसी जांच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नाशिक जिले में विशेष रेल परियोजना “2027 में कुंभ मेले के दौरान यात्रियों के आवागमन हेतु मुंबई की दिशा में खेरवाड़ी रेलवे स्टेशन के गुड्स शेड के परिसंचारी क्षेत्र का विकास” के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र	भुसंपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	7/12 अनुसार भूधारक का नाम	सर्वे न.	भूधारणा पद्धति	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे. आर)	संपादन क्षेत्र (हे. आर)
१	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	रामदास भिका संगमनेरे व इतर १	७४	भोगवटदार वर्ग १	०.०४०	०.००५
२	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	भीका दादा संगमनेरे व इतर १९	६९	भोगवटदार वर्ग १	०.१५०	०.०६५
३	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	बबन रामभाऊ संगमनेरे व इतर ६	६८	भोगवटदार वर्ग १	०.५००	०.२७२
४	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	शंकर कोंडाजी संगमनेरे व इतर १	६७	भोगवटदार वर्ग १	०.२७०	०.१९०
५	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	विकास रामचंद्र आवारे	६६अ	भोगवटदार वर्ग १	१.५५०	०.२००
६	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	सुकदेव गोपाळा आवारे	६५५	भोगवटदार वर्ग १	०.६४०	०.०६९
७	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	बाजीराव गोपाळा आवारे	६५६	भोगवटदार वर्ग १	०.३६०	०.०६८
८	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	बाजीराव गोपाळा आवारे	६५७	भोगवटदार वर्ग १	०.३६०	०.०५०
९	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	निवृत्ती गणपत आवारे व इतर ४४	६५८	भोगवटदार वर्ग १	०.३१०	०.०६५
१०	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	रमेश हरी आवारे व इतर ५	६५९	भोगवटदार वर्ग १	०.३९०	०.०५८
११	०३/२०२५	नारायणगांव	निफाड	गणपत नारायण संगमनेरे व इतर १६	१५१	भोगवटदार वर्ग १	१.४६०	०.१६८
				कुलयोग			६.०३० (हे. आर)	१.२१० (हे. आर)

[फा. सं. 197/Nashik Kumbh 2027/Kherwadi/20A]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Central Railway)
NOTIFICATION

Mumbai, the 22nd September, 2025

Under clause 20A of the Railway (Amendment) Act 2008

S.O. 4255(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) [hereinafter referred to the Railway (Amendment) Act 2008 (11 of 2008)] the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in schedule annexed hereto, is required for purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **“Kherwadi Railway station development of circulating area of Goods shed in UP direction for holding passengers during Kumbh Mela traffic in 2027” District Nashik** in the State of **Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely, Sub divisional officer, Niphad Maharashtra in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector the opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structures, **falling within the Special Railway Project “Kherwadi Railway station development of circulating area of Goods shed in UP direction for holding passengers during Kumbh Mela traffic in 2027”** in the **District Nashik** in the State of Maharashtra.

S.N	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R)	Acquisition area (H.R.)
1	03/2025	Narayangaon	Niphad	Ramdas Bika Sangamnere & Other 1	74	Land Class 1	0.040	0.005
2	03/2025	Narayangaon	Niphad	Bhika Dada Sangamnere & Other 19	69	Land Class 1	0.150	0.065
3	03/2025	Narayangaon	Niphad	Baban Rambhau Sangamnere & Other 6	68	Land Class 1	0.500	0.272
4	03/2025	Narayangaon	Niphad	Shankar Kondaji Sangamnere & Other 1	67	Land Class 1	0.270	0.190
5	03/2025	Narayangaon	Niphad	Vikas Ramchandra Aware	66A	Land Class 1	1.550	0.200
6	03/2025	Narayangaon	Niphad	Sukdeo Gopala Aware	655	Land Class 1	0.640	0.069
7	03/2025	Narayangaon	Niphad	Bajirao Gopala Aware	656	Land Class 1	0.360	0.068
8	03/2025	Narayangaon	Niphad	Bajirao Gopala Aware	657	Land Class 1	0.360	0.050
9	03/2025	Narayangaon	Niphad	Nivrutti Ganpat Aware & Other 44	658	Land Class 1	0.310	0.065

S.N	Land Acquisition Case No.	Name of the village	Taluka	As per 7/12 Land holder's name	Survey no.	Land holding method	Total area as per 7/12 (H.R)	Acquisition area (H.R.)
10	03/2025	Narayangaon	Niphad	Ramesh Hari Aware & Other 5	659	Land Class 1	0.390	0.058
11	03/2025	Narayangaon	Niphad	Ganpat Narayan Sangamnere & Other 16	151	Land Class 1	1.460	0.168
				Grand Total Area			6.030 (H.R)	1.210 (H.R)

[F. No. 197/Nashik Kumbh 2027/Kherwadi/20A]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)